# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौत्तम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19 / 2018

हेमन्त शर्मा निवासी ब्रहम अखाडा के पास ताखा जी की गली टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक

-प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 10.05.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह मे संधारित पत्र आवक रजिस्टर(रिसिप्ट रजिस्टर) की 1 नवम्बर 2017 से अघतन(सूचना देने की दिनांक तक)अवधि की सत्य प्रमाणित सूचना प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारणार्थ लोकहित मे देने की कृवा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को पत्र कमांक 570 दिनांक 04.04.2018,639 दिनांक 16.04.2018 व 695 दिनांक 26.04.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेंतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने पत्र कमांक 253 दिनांक 20.04.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 369 दिनांक 12.04.2018 से सूचना उपलब्ध करवादी गई है। प्रार्थी के उपस्थित न होने से यह जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से प्राप्त सूचना से अपीलार्थी सहमत है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(लोकेश कुमार गौत्तम)
**जिला कलेक्टर एंव**
**प्रथम अपील अधिकारी टोंक**